31

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयाल
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्र0क0 613–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 9–9–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल म0प्र0 क0 76/अ–19/2011–12/स्वप्रेरित निगरानी.

श्रीमती मांगीबाई पत्नी श्री धर्मनारायण कुमार
निवासी सूरजपोल बजरंग मोहल्ला,
नरसिंहगढ़ जिला राजगढ म0प्र0

—— आवेदिका

विरूध्द

म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर
जिला राजगढ़ ब्यावरा म0प्र0

—— अनावेदक

– – –

आदेश

(आज दिनांक 12/11/2014 को पारित)

– – –

यह निगरानी का आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर राजगढ़ के प्रकरण कमांक 76/अ–19/2011–12/स्वप्रेरित निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–9–2014 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नरसिंगढ़ की भूमि सर्वे कमांक 843/2/2, 843/2/3/2 रकबा कमशं 0.506, 0.468 हे0 भूमि का पट्टा कृषि कार्य हेतु भंवरीबाई पति छोटेलाल निवासी ग्राम मण्डी रोड़ नरसिंगढ़ जिला राजगढ़ को

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7–ख) के तहत जारी किया गया था। भंवरीबाई द्वारा कलेक्टर की बिना अनुमति प्राप्त किये प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका मांगीबाई पत्नि छोटेलाल को विक्रय कर दी गई। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा में लेकर प्रकरण कमांक 76/अ–19/2011–12/स्वप्रेरित निगरानी दर्ज किया गया एवं आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 9–9–13 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को पुनः शासकीय दर्ज करने एवं तहसीलदार नरसिंहगढ़ द्वारा किये गये नामांतरण को अपास्त किया गया। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदिका को अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई तथा उसके विरूद्ध अवैधानिक रूप से एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर 40–50 वर्षों के कब्जे के आधार पर विधिवत भंवरीबाई के पति छोटेलाल को पट्टा प्रदान किया गया था। छोटेलाल की मृत्यु के उपरांत भंवरीबाई द्वारा आवेदिका को वर्ष 2003 में भूमि विक्रय कर दी गई, जिसके आधार पर आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 2003 में नामांतरण भी हो चुका है। तर्क में यह भी आधार लिया गया कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही 90 दिवस के अन्दर ही किये जाने का प्रावधान है, परन्तु उक्त प्रकरण में आवेदिका के विरूद्ध स्वप्रेरणा में असीमित समयावधि व्यतीत होने के बाद वर्ष 2011 में प्रारम्भ की गई है जो निरस्ती योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदिका के नाम कब्जाधारिणी एवं स्वामित्व के रूप में नामांतरण होने के उपरांत उसके नाम ऋण पुस्तिका कमांक 41261 विधिवत वर्ष 2003–04 में प्रदान की गई है। आवेदिका एक वृद्ध, निरक्षर एवं असहाय महिता है, जिसे कानून का ज्ञान नहीं है, अतः उसके विरूद्ध पारित अवैधानिक आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रकरण में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया । यह निर्विवादित है कि शासकीय पट्टे की भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति के किया गया है । अतः यह विक्रय अवैध है । आवेदिका का यह

तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे सूचना नहीं दी, रिकार्ड के अनुसार सही नहीं है। उसे विधिवत नोटिस की तामीली की गई है फिर भी वी अपना पक्ष रखने में असफल रही है ।

5/ प्रकरण में ऐसे कोई आधार नहीं है कि आवेदिका की यह निगरानी स्वीकार की जा सके । अतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर